

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

38  
01.12.2022

न्यायालय, उपायुक्त, राँची  
एफ०एस०एस० वाद सं० 11/2018-19

कृष्णा प्रसाद सिंह  
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी,  
सी०एम०ओ० कार्यालय  
सदर अस्पताल परिसर, राँची ..... परिवादी/आवेदक

बनाम

रंजीत कुमार पिता श्री श्रवण प्रसाद  
मेसर्स मॉ फूड प्रोडक्ट  
गोविन्द नगर, ललीत ग्राम तिलता, काठीटॉड, राँची ..... विपक्षी  
आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई परिवादी कृष्णा प्रसाद सिंह, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, सी०एम०ओ० कार्यालय, सदर अस्पताल परिसर, राँची एवं अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची द्वारा अग्रसारित ज्ञापांक 91 दिनांक 02.04.2018 के माध्यम से न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ की गई है। परिवादी/आवेदक ने समर्पित आवेदन द्वारा विपक्षी के विरुद्ध सम्मन जारी करने के उपरान्त, उन्हें धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत मामले में अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची से पत्र सं० 90 दिनांक 02.04.2018 द्वारा न्याय निर्णयन से संबंधित अभियोजन आवेदन पर स्वीकृति प्राप्त है।

न्याय निर्णयन हेतु समर्पित आवेदन के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के तौर राँची क्षेत्र हेतु नियुक्त किये गये हैं तथा विश्लेषण के निमित्त खाद्य एकत्रित करने हेतु अधिकृत है। उन्होंने दिनांक 03.02.2018 को लगभग 03:00 बजे अपराह्न विपक्षी के दुकान का निरीक्षण किया तथा उनके

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 2 :-

दुकान से 50 ग्राम X 4 पैकेट "यस बॉस स्पेशल नमकीन" का नमूना विश्लेषण हेतु मुल्य चुका कर एकत्रित किया। तदोपरान्त उसे चार भाग में बाँट कर उसे निर्धारित तरीके से सील कर उसे अभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप से लपेट कर उसमें RAN/1634 का कोड अंकित किया तथा उसमें विपक्षी का हस्ताक्षर प्राप्त कर, फार्म VI में ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त उसे विश्लेषण हेतु खाद्य विश्लेषक के पास भेज दिया।

खाद्य विश्लेषक द्वारा जारी खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:34/एफ०एस०एस०ए०/2018 दिनांक 09.02.2018 के अनुसार उपरोक्त "यस बॉस स्पेशल नमकीन" नमूने के लेबल/छाप में "Net Wt, Packing date, Batch No" प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा उक्त नमूने के पैकेट में उत्पाद के निर्माण हेतु जो समाग्री उद्घोषित किया गया है वह उत्पाद के अनुरूप नहीं है। जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2(6), (8), (9) एवं 2.2.2(2) का उल्लंघन है तथा इस प्रकार विपक्षी के दुकान से प्राप्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (i)(zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है।

प्रस्तुत वाद में सम्मन जारी करने के पश्चात् विपक्षी इस न्यायालय में उपस्थित हुए, परन्तु उनके द्वारा कारण पृच्छा नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। अतः यह वाद विपक्षी के अनुपस्थिति में एकपक्षिय सुनवाई करने के उपरान्त अभिलेख में मौजूद साक्ष्य के आधार पर अंतिम निर्णय पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

अभिलेख के समग्र आवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी के दुकान से प्राप्त खाद्य के विश्लेषण रिपोर्ट सं० सी०एम०:34/एफ०एस०एस०ए०/2018 दिनांक 09.02.2018 से प्रमाणित होता है कि "यस बॉस स्पेशल नमकीन" नमूने के लेबल/छाप में "Net Wt, Packing date, Batch No" प्रदर्शित नहीं किया गया है तथा उक्त नमूने के पैकेट में उत्पाद के निर्माण हेतु जो समाग्री उद्घोषित किया गया है वह भी

अनुसूची 14 - फारम सं० 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 3 :-

उत्पाद के अनुरूप नहीं है। जो खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम की कंडिका 2.2.2(6), (8), (9) एवं 2.2.2(2) का उल्लंघन है तथा इस प्रकार विपक्षी के दुकान से प्राप्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की 3 (i)(zf)(c)(i) के अनुसार मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) है तथा इस प्रकार विपक्षी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 52 के अन्तर्गत दोष सिद्ध होता है। मिथ्या छाप वाला खाद्य (misbranded food) की शास्ति खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 में प्रदान किया गया है, जिसके अन्तर्गत किसी खाद्य की प्रकृति या तत्व या क्वालिटी के बारे में भ्रम पैदा होने की संभवना है या मिथ्या गारंटी देता है तो शास्ति का, जो दस लाख रूपए तक की हो सकेगी, देय होगा।

अतः विपक्षी द्वारा कारित अपराध की गंभीरता तथा आरोपी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुचित लाभ को ध्यान में रखते हुए यह कार्यवाही विपक्षी के खिलाफ रु० 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) आर्थिक दण्ड के साथ समाप्त की जाती है।

अभिहित अधिकारी आरोपी से उक्त शास्ति की वसूली के लिए Adjudication Officer-Cum-Deputy Commissioner, Ranchi के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से डिमांड नोटिस जारी किया जाए और यदि अभियुक्त/विपक्षी डिमांड नोटिस में निर्धारित समय के भीतर जुर्माना जमा करने में विफल रहता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत आरोपी के खिलाफ बिहार लोक मॉग वसूली अधिनियम के तहत सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर जुर्माना वसूल किया जाएगा और तब तक डिफॉल्टर का लाइसेंस (यदि कोई हो) निलंबित रहेगा। इसके अलावा अभिहित अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार, अभियुक्त/विपक्षी के खाद्य लाइसेंस के निलंबन रहने के दौरान वे कोई भी खाद्य व्यवसाय शुरू नहीं करेंगे।


इस आदेश की प्रति अभिहित अधिकारी - सह - अपर मुख्य

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 4 :-

चिकित्सा पदाधिकारी, राँची एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, राँची एवं अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

लेखपित एवं संशोधित

  
उपायुक्त  
राँची

  
उपायुक्त  
राँची